



## झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./32/18-76

राँची/दिनांक: 18/08/2018

### NEET (UG) -2018 के परीक्षाफल आधारित अंतिम राज्य मेधा-सूची से एम.बी.बी.एस. (M.B.B.S), बी.डी.एस.(B.D.S) तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (Ayush-UG Level Courses) में नामांकन के निमित्त Mop-up Round of Counselling के आयोजन से संबंधित विस्तृत सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या-जे.सी.ई.सी.ई.बी./32/18-35 दिनांक-22.06.2018 तथा विज्ञापन संख्या-जे.सी.ई.सी.ई.बी./32/18-71 दिनांक-06.08.2018 के आलोक में NEET (UG)- 2018 में शामिल अर्हकित (Qualified) आवेदकों से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार अंतिम राज्य मेधा-सूची पर्षद के अधिकृत वेबसाइट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage में Downloads Column में उपलब्ध है।

2 साक्षात्कार Computerized Multi Table Counselling के माध्यम से की जाएगी। संस्थान-वार/पाठ्यक्रम-वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम/द्वितीय साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम/द्वितीय साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर संस्थान/ पाठ्यक्रम/सीट का चयन नहीं किये हैं।

3. प्रथम/द्वितीय साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा अपने पूर्व आवंटित संस्थान /पाठ्यक्रम /सीट के पुर्नआवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति, संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्गत वास्तविक प्रमाण पत्र (Bonafide certificate) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि संस्थान के स्तर पर कौन-कौन से मूल प्रमाण-पत्र रखे गये हैं तथा संस्थान में जमा किये गये प्रमाण-पत्रों की छाया-प्रति जो संस्थान के प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित हो, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा संस्थान /पाठ्यक्रम/सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें संस्थान के प्रमुख द्वारा जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया-प्रति प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

4. साक्षात्कार में Medical Council of India, Dental Council of India एवं आयुष मंत्रालय द्वारा एम0बी0बी0एस0 (MBBS), बी0डी0एस0 (BDS) तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (Ayush-UG Level Courses) में नामांकन के लिए निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

5. साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक-एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में

लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आबंटन किया जाएगा।

(क) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण-पत्र, (ख) इण्टरमीडिएट साईंस/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता/औपबंधिक प्रमाण-पत्र (ग) NEET (UG)- 2018 के आधार पर पर्षद द्वारा निर्गत राज्य मेधा-सूची की अधभारित (Download) प्रति (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त [Deputy Commissioner] द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना झापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 - 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0-14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का0-4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, (ङ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के झापांक 7/जाति-19-11/2008 का0-10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (च) दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण-पत्र (छ) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ङ) में वर्णित प्रमाण-पत्र/पत्रों, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

6. इस विज्ञापन की उपरोक्त कण्डिका-5 में दर्ज वांछित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में सीट आबंटन नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा।

7. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल-प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

8. साक्षात्कार शुल्क :- सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 500/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 300/- आवेदन एवं साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

**साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:-**

क) साक्षात्कार शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास ATM/Debit Card साथ में रखना अनिवार्य है।

या

ख) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाइट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं० एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

**नोट (a):-** साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

9. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

10. **साक्षात्कार स्थल :-** झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

11. **साक्षात्कार, संयुक्त मेधा-सूची (Combined Merit List)** मेधाक्रमानुसार आयोजित की जायेगी। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा SC/ST/BC-I/BC-II/PH/Primitive Tribal Group, के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार, निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए कर्णांकित संस्थानों /पाठ्यक्रमों/सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र अवश्य लावें।

12. नामांकन हेतु अनुशंसा के लिए सफल अभ्यर्थियों के पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए Mop-up Round of Counselling कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :-

State CML Rank (राज्य संयुक्त मेधाक्रमानुसार)					
State CML Rank Range		Counselling Date & Time	State CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	800	23.08.2018/10:00 AM	801	2,767	23.08.2018/ 01:00 PM

13. दिव्यांगो तथा आदिम जन-जाति समूह (Primitive Tribal Group) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित सीटों का आवंटन संयुक्त मेधा क्रमानुसार आयोजित उपरोक्त साक्षात्कार के दौरान किया जायेगा।

14. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

15. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
16. जिन अभ्यर्थियों के कमांक उपरोक्त कंडिका-12 में अंकित राज्य मेधा-सूची के अंतर्गत मेधाक्रम-अंतराल में शामिल हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि वे इस विज्ञप्ति के माध्यम से ही साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किये जाते हैं। इस सूचना के आधार पर ही वे निर्धारित साक्षात्कार तिथि एवं समय पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा। इसके लिये पर्सद उत्तरदायी नहीं होगा।
17. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के साथ उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/पाठ्यक्रमों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।
18. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
19. साक्षात्कार से संबंधित जानकारी हेतु पर्सद के अधिकृत वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> और/या दूरभाष सं. 9264473893/9264473891 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-

(सुरेन्द्र कुमार, मा.प्र.से.)

परीक्षा नियंत्रक

,राँची/दिनांक: 18/08/2018

ज्ञापांक : जे.सी.ई.सी.ई.बी./32/18 - 625

प्रतिलिपि:-परीक्षा शाखा को पर्सद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
परीक्षा नियंत्रक